भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1418
29 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के उद्देश्य

1418. श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री यदुवीर वाडियारः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और उक्त प्रणाली से किस प्रकार कम कार्बन उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन के लिए मानक निर्धारित होते हैं;

(ख) इस्पात क्षेत्र में सतत निवेश के प्रेरक के रूप में उक्त महत्वपूर्ण संरचना के प्रति हितधारकों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है:

(ग) भारत के प्रमुख उत्पादकों ने उक्त टैक्सोनॉमी के उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार संरेखित किया है; और

(घ) कार्बन की तीव्रता को कम करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के इस टैक्सोनॉमी के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति दर्शाने वाली प्रारंभिक उपलब्धियों अथवा संकेतकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का उद्देश्य 'ग्रीन स्टील' को परिभाषित करना और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी और गैर-जीवाश्म ईंधन, जैसे, नवीकरणीय ऊर्जा आदि को अपनाकर, स्टील उद्योगों को ग्रीन इस्पात के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक रूपरेखा विकसित करना है। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श की श्रृंखला के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र उन संयंत्रों को जारी किए जाएंगे जो इसके लिए आवेदन करते हैं और ग्रीन स्टील की टैक्सोनॉमी के अनुसार उत्सर्जन तीव्रता के स्तर को पूरा करते हैं। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी), जो इस्पात मंत्रालय के अधीन एक प्रशिक्षण संस्थान है, जो मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) के साथ-साथ इस्पात के लिए ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र और स्टार रेटिंग जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। अब तक, 39 लौह एवं इस्पात उत्पादकों ने ग्रीन स्टील प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है।

******